

सेवा-3
की मजदूरी
40
सर्वकार
वाराणसी
20/12/13

1946
21/12/13

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-१, लो०नि०वि०,
गाजीपुर

पत्रांक 1617/1 सी


दिनांक 13.12.13

सेवा में,
संयुक्त शिक्षा निदेशक
वाराणसी मण्डल, वाराणसी।

विषय: नेशनल बिल्डिंग कोड सम्बन्धित प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ: आपका पत्रांक एन.ओ.सी./3840/2013-14, दिनांक 03.06.2013.


उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि एस.एस.देव पब्लिक स्कूल हेतिमपुर, जमानियां, गाजीपुर के भवन की विस्तृत आख्या, अवर अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता द्वारा जाँच करने के उपरान्त निर्धारित प्रारूप में भरकर आपको आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।
संलग्नक- उपरोक्तानुसार चेक लिस्ट एक प्रति।


अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1, लो०नि०वि०,
गाजीपुर

पत्रांक /

दिनांक


प्रतिलिपि- सहायक अभियन्ता प्रथम, निर्माण खण्ड-1, लो०नि०वि०, गाजीपुर को सूचनार्थ प्रेषित।


अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1, लो०नि०वि०,
गाजीपुर

विद्यालयों में सुरक्षा विशेषकर भूकम्परोधी (N.B.C)/अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी चेकलिस्ट
सी०बी०एस०ई० / आई०सी०एस०ई० विद्यालय (कक्षा-6 से 12) हेतु चेकलिस्ट

क्र. सं.	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	जांच आख्या
	भवन की चेक लिस्ट	
1.	क्या भवन का मानचित्र पंजीकृत आर्किटेक्ट/ इंजीनियर से बनवाया गया है?	हाँ
2.	क्या भवन मानचित्र स्थानीय निकाय/प्राधिकरण/सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत है?	नहीं
3.	क्या भवन तीन मंजिल से अधिक ऊँचा है?	नहीं
4.	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 1.8 हेक्टेयर (18000वर्गमी०) है?	नहीं ✓
5.	क्या भवन के चारों तरफ 6.0 मी० खुला स्थान है?	नहीं
6.	क्या भवन में वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था है? भवन में सेट बैंक में पार्किंग तो नहीं है?	हाँ
7.	क्या भवन का ओरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त एवं हवा का सर्कुलेशन है?	हाँ
8.	क्या मुख्य पहुँच मार्ग (Approach Road) की चौड़ाई न्यूनतम 12मी० है?	नहीं
9.	क्या भवन का छत R.C.C का बना है? यदि नहीं तो क्या छत संलग्न न ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लाई गयी?	हाँ
10.	क्या भवन की दीवारें ईट या पत्थर की सीमेंट मसाले से बनी हैं?	हाँ
11.	क्या भवन की दीवारों/छतों में क्रैक है?	नहीं
12.	क्या कक्षों की छतों की ऊँचाई फर्श से न्यूनतम 3.6 मी० (ठंडे क्षेत्रों में 3.0 मी०) है?	हाँ
13.	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (बाउण्ड्रीवाल गेट) की चौड़ाई 6.0 मी० एवं ऊँचाई 4.5 मी० है?	नहीं
14.	क्या खिड़कियों का क्षेत्रफल कक्ष के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है? खिड़कियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है?	हाँ
15.	क्या कक्ष में न्यूनतम दो दरवाजे हैं?	हाँ
16.	क्या कक्ष के दरवाजों की न्यूनतम माप (चौड़ाई 1.0मी० ऊँचाई 2.0 मी०) है?	हाँ
17.	क्या विद्यालय भवन यदि दो मंजिला या अधिक है तो न्यूनतम दो स्टेयर केस (जीने) का प्राविधान है?	नहीं
18.	क्या एक मंजिल से अधिक ऊँचे भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मिमी०, ट्रेड 300 मिमी० तथा राइजर 150 मिमी० हैं?	सी० - 1300mm ट्रेड - 400mm Riser - 150mm

19.	क्या भवन में अग्निशामक यंत्र (Fire Extinguisher) एवं आटोमैटिक सिप्रंकलर सिस्टम (Automatic Sprinkler System) उचित स्थान पर लगे हैं?	नहीं
20.	क्या भवन में फर्स्ट एड फायर फाइटिंग एप्लायन्सेज (First aid Fire Fighting Appliances) की व्यवस्था है?	नहीं
21.	क्या विद्यालय के छात्रों/अध्यापकों को समय-समय पर अग्नि से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाता है?	हां
22.	क्या भवन में उपयुक्त स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा बाक्स (First Aid Box) स्थापित हैं?	हां


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1 लो०नि०वि०
गाजीपुर
 3.6.